न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–43/1997–98

अम्बिका सिंह बनाम देव नारायण सिंह एवं अन्य

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
14/03/18	**आदेश** यह वाद अम्बिका सिंह, पिता स्व0 रामानंद सिंह, ग्राम–भूपतिपुर, थाना–गौरीचक, जिला–पटना के द्वारा (1) टेक नारायण सिंह उर्फ टेका सिंह, पिता स्व0 जानकी सिंह, ग्राम–भूपतिपुर, थाना–गौरीचक, जिला–पटना (2) श्रीमती अवन्ती देवी, पति रामकृष्ण सिंह, ग्राम–कठौतिया, थाना–मनेर, जिला–पटना एवं (3) श्रीमती लीलावती देवी, पति धनेश सिंह, ग्राम–चैनपुर, थाना–गौरीचक, पटना के पक्षकार बनाते हुए, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 07/1997–98 में दिनांक 08.01.1998 को पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्ता, पटना के न्यायालय में दायर किया गया था। समाहर्ता, पटना के न्यायालय में वाद लम्बित रहने के दौरान विपक्षी टेक नारायण सिंह उर्फ टेका सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 24.03.2000 को टेकनारायण सिंह के स्थान पर उनके वैधिक उतराधिकारी देवनारायण सिंह (पुत्र) दीन दयाल सिंह (पुत्र) राम प्रवेश सिंह (पुत्र) मन कुंवर देवी (पुत्री) एवं शीतल कुँवर देवी (पुत्री) को पक्षकार बनाये जाने की स्वीकृति दी गयी। विपक्षी की तरफ से दिनांक 11.02.2014 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। विपक्षी मनकुंवर देवी एवं शीतलकुंवर देवी के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 07.12.2014 के आज दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के पश्चात भी विपक्षी मन कुँवर देवी एवं शीतल कुँवर देवी के द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से दिनांक 28.02.2017 को इस आशय का आवेदन दिया कि उन्हें इस आशय की जानकारी मिली है कि विपक्षी शीतल कुँवर की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी है, अतः उनके नाम को परिवाद से विलोपित किया जाय। आवेदक के दिनांक 28.02.2017 के उक्त आवेदन को दिनांक 11.07.2017 को स्वीकार कर लिया गया। इस वाद में विपक्षीगण के द्वारा दिनांक 22.05.2016 से पैरवी करना छोड़ दिया गया। दिनांक 11.01.2017 को विपक्षीगण को अंतिम मौका दिये जाने के बाद भी उसके बाद निर्धारित विभिन्न तिथियों यथा 28.02.2017, 15.04.17, 30.05.17, 11.07.17, 26.08.17, 14.09.17, 14.10.17, 25.11.17, 26.12.17, 23.01.18 एवं 14.03.2018 को उपस्थित नहीं हुए। इस वाद में दिनांक 26.08.2017 से आवेदक के द्वारा भी पैरवी करना छोड़ दिया गया। दिनांक 23.01.2018 को अंतिम मौका दिये जाने के बावजूद अगली तिथि 14.03.2018 को आवेदक उपस्थित नहीं हुए तो वाद को आदेश पर रखा गया।	

यह वाद बहुत लम्बे समय से विचाराधीन है। आवेदक के आवेदन अनुसार संक्षेप में मामला इस प्रकार पर रखा गया।

(1) अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{3569}{7}$ वर्ष 1993–94 में दिनांक 31.03.1994 को अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा मौजा–सिपारा थाना नं0 27 एवं मौजा जगनपुरा, थाना नं0 26 के विभिन्न खाता, खेसरा के भूखण्ड के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{3569}{7}$ वर्ष 1993–94 में पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में अपील सं0 07/1997–98 दायर की गयी।

(3) आवेदक के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में बताया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर उभय पक्ष के बीच टाईटिल सूट सं0 215/1996 लम्बित है। उसके बावजूद भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बहार जाकर प्रश्नगत भूखण्ड में विपक्षीगण के हिस्से का निर्धारण कर दिया गया।

(4) आवेदक के द्वारा अपील वाद सं0 07/1997–98 में दिनांक 08.01.1998 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा पारित आदेश को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा दिनांक 11.02.2014 को दायर अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि :–

(1) यह पुनरीक्षण वाद चलने योग्य नहीं है तथा रद्द करने लायक है।

(2) अम्बिका सिंह एवं अन्य के द्वारा सब जज–1, पटना के न्यायालय में विवादित भूखण्ड को लेकर टाईटिल सूट सं0 215/1996 दायर किया गया था, जो सब जज–X, पटना के द्वारा दिनांक 29.07.2010 के आदेश से निरस्त किया जा चुका है, तथा प्रश्नगत भूखण्ड का स्वत्व विपक्षीगण को प्राप्त हुआ है।

(3) प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक अम्बिका सिंह का कोई दखल एवं हिस्सा नहीं है। यह पुनरीक्षण वाद रद्द करने योग्य है।

विपक्षी के द्वारा टाईटिल सूट सं0 215/1996 में दिनांक 29.07.2010 को पारित आदेश एवं दिनांक 10.08.2010 को पारित डिक्री की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर दायर स्वत्व वाद में आदेश पारित हो चुका है। प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल एवं स्वत्व को लेकर सक्षम व्यवहार न्यायालय का आदेश ही मान्य होगा। इस न्यायालय में चल रहे पुनरीक्षण वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

5/3/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

5/3/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना